

अंजान व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से फ्राड की गयी 11,000/- रु0 कुल धनराशि (इग्यारह हजार) रुपये थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से फ्राड की गयी 11,000/- रु0 कुल धनराशि (इग्यारह हजार रुपये), पीडित मुन्ना गुप्ता पुत्र हरिहर गुप्ता निवासी नोहरेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा । आवेदक के कुल धनराशि 11,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामाज्ञा कुमार थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
2. म0उ0नि0 सुधा अग्रहरि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
3. क0आ0 अब्दुल रब थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
4. म0आ0 प्रियंका मिश्रा थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

01 वांछित अन्तर्जपदीय शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से 07 अदद वीडियों कैमरा कीमत लगभग 20,00000/- (बीस लाख रुपये) व घटना प्रयुक्त 01 अदद कार बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के कुशल पर्येक्षण, क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.01.2026 थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घरस 99C दुर्गा मन्दिर जगरनाथ पुरी पश्चिम गली बेतिहाता थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर से मु0अ0स0 12/2026 धारा 316(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अर्पित मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा के कब्जे से 07 विभिन्न कंपनी के कैमरा कीमत लगभग 20,00000/- को बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. अर्पित मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा 99C दुर्गा मन्दिर जगरनाथ पुरी पश्चिम गली बेतिहाता थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 12/2026 धारा 316(2) बीएनएस से सम्बन्धित

बरामदगी विवरण –

1. 01 अदद कोडक (Kodak) कंपनी का कैमरा।
2. 04 अदद निकोन (Nikon) कंपनी के कैमरे।
3. 01 अदद फ्यूजी फिल्म (Fuji Film) कंपनी का कैमरा।
4. 01 अदद कैनन (Canon) कंपनी का कैमरा।
5. 01 अदद टाटा नेक्सन कार (घटना में प्रयुक्त)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 363/16 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 372/16 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 417/16 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 420/16 धारा 394/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 1004/16 धारा 379/411 भादवि थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 663/24 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना कसबा जनपद कुशीनगर
7. मु0अ0सं0 318/24 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज
8. मु0अ0सं0 78/24 धारा 120बी/406/420 भादवि थाना कसया जनपद कुशीनगर
9. मु0अ0सं0 242/24 धारा 316(2)/317(2)/318(4)/319(2) बीएनएस थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
10. मु0अ0सं0 0381/2025 धारा 316(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बस्ती
11. मु0अ0सं0 0444/2025 धारा 316(2) बीएनएस, थाना कोतवाली जनपद बस्ती
12. मु0अ0सं0 729/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना हाटा जनपद कुशीनगर
13. मु0अ0सं0 626/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. पंकज यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. का. संजीव कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. का. परमेश्वर मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

पाक्सो एक्ट में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के कुशल पर्येक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 23.01.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर कटरा मोड़ (बहुआ गोदाम) के पास से मु0अ0स0 32/26 धारा 75(2), 79, 151(3), बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त पवन भारती पुत्र पिक्रमाराय निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. पवन भारती पुत्र पिक्रमाराय निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 32/26 धारा 75(2), 79, 151(3), बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 5030/- रु0 कुल धनराशि (पांच हजार तीस) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 5030/- रु0 कुल धनराशि (पांच हजार तीस रुपये), पीडित मोहम्मद आतिफ पुत्र सलाउद्दीन निवासी काठतराव थाना रामपुर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 5030 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुराधा थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. आरक्षी नीलेश मिश्रा थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. प्रवीण कुमार थाना रामपुर जनपद मऊ।

